प्रजातंत्र में मौलिक अधिकारों का विशलेषण

राम प्रमोद राय
– राजनीति शास्त्र
(ल० ना० मि० वि० वि० दरभंगा)
वर्तमान कार्यरत – प्रधानाध्यापक

विषय

मध्य विद्यालय बेलसंडीतारा विभूतिपुर,
समस्तीपुर

सारांश –

भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्य की गयी है यह अमेरिका के संविधान से ली गयी है मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों को विभाजित किया गया है। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून, जो संविधान के शुरू होने से पहले ठीक पहले भारत में लागु थी, उनके वे अंश लागु रह जायेंगे जो संविधान के अनुकूल हो अर्थात उससे मेल करवाते हो यह भी कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता, जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है देश के मूल कानूनों में मौलिक अधिकारों का पवित्र स्थान है तथा यह राज्य के अनूचित हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। राज्य को राष्ट्रिय हितों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त न्म्पूवन्य लगाने का अधिकार है परन्तु यह प्रतिबन्ध उचित है या नहीं यह निर्णय करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। देश के उच्च कानूनों द्वावा संरक्षित हित के रूप में मलिक अधिकारों को परिभाषित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के उन उपबन्धों में मानयता पाते हैं, जिनके अन्तर्गत स्मारं प्रजातान्त्रिक राज्य में सीमित पुलिस शक्तियों का अन्त कर प्रतिपाद किया गया है।

मौलिक अधिकार का अर्थ और उसकी जरूरत –

मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित संविधान का तृतीय भाग भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतन्त्रताओं का अधिकार प्रपत्र माना जाता है। इस तरह के वाबजूद कि राज्य द्वारा उन औचित्यपूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति उनके क्रियान्वत को स्थगित कर सकता है, मौलिक अधिकारों की सूची पर्याप्त रूप में न्याय की सकपौटी परक्सी

जा सकती है। अतः अधययन के प्रारम्भ में ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार ना कि उन पर लगाये जाने वाले सम्बन्धित प्रतिबन्ध नेहरू के शब्दों में संविधान की अन्तरात्मां की रचना करते हैं। मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्रने गौ पालन के मामले में यह कहा अधिकारों परविद्यायी हस्तक्षेर के विरूद्ध वयकति प्रतिबन्ध अनुच्छेद 13 तथा नयायिक पुनर्विचार अनुच्छेद 32 व 226 द्वारा उपरोक्त प्रतिबन्धों पर संविधानिक की व्यवस्थासहित संविधान के अग्रभाग में मौलिक अधिकारों उललेख से यह स्पष्ट तथा प्रभावी संकेत मिलता है कि मौलिक अधिकार राज्य दवारा निर्मित सधारण कानूनों से ऊपर है।

इस प्रकार जनता की संरक्षित स्वतन्त्रता के क्षेतर में न्यायिक पुनरावलोकन एक अपरिहार्य अंग बन गया है। दुर्गादास बसु के शब्दों में हम अपनी न्यायपालिकाओं पर भरोसा कर सकते हैं, जो हमारी स्वतन्त्रताओं का संरक्षण करने के साथ केवल न के हित में अपनी सत्ता का प्रयोग करती है।

मौलिक अधिकारों के प्रकार

संविधान के तृतीय भाग में हर प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो कुछ मर्यादित प्रतिबन्धों से घिरे हैं। संसद को इन अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए संविधान के संशोधन हेतु विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। संविधान के इस भाग में प्रतयभूत मौलिक अधिकारों के राजनीतिक चरित्र के साथ ये राजनीतिक प्रजातन्त्र को संहिता भी है। अब सम्पतति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकारी रह जाने के कारण भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित छह (6) अधिकार प्राप्त है।

1. समानता का अधिकार
2. स्वतन्त्रता का अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. धर्म का अधिकार
5. संस्कृति व शिक्षा का अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

मौलिक अधिकारों का विश्लेषण

समानता का अधिकार – मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार का हालिया संशोधन के सन्दर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। सन् 1995 के 77 वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि लोक सेवाओं में पदोन्नत्ति के समय अनुसूचित जातिओं व अनुसूचित जन – जातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, सन् 2000 के 85 वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि उन्हे एसी पदोन्नति देते समय उनकी वरिष्ठता को भी मानयता दी जायेगी सन् 2000 के 81 वें संविधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन – जातियों के लोगों के लिए आरक्षित एक वर्ष से रिक्त पड़े पदों की संख्या को नयी रिक्तयों की संख्या में शामिल नहीं किया जायेगा। संसद किन्ही राज्यगत नियुक्तियों के लिए निवास सम्बन्धी योगयताए निर्धारित कर सकती है। यदि पिछड़ी परिगणित जातियों का राज्याधीन नौकरियों में ययेचित प्रतिनिधित्व न हो तो उनके लिए प्ररयाप्त स्थान आरक्षित किये जा सकते हैं किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्कार के अन्तर्गत कि हो सकता है। ऐसे प्रावधान कानून के समझ समानता का सूत्र का हनन करते हैं, लेकिन समाजिक न्याय कि खातिर उन्हें स्थान दिया गया है। इसे सूरक्षात्मक भेदभाव करते हैं।

संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों का संग्रह है , जिनसे किसीराज्य में शासन का गठन व संचालन होता है, अत: उसमें मौलिकअधिकारों को शामिल करना आवश्यक नहीं है। सन् 1787 मेंअमरीका सन् 1867 में कनाडा व सन् 1900 में अस्ट्रेलिया केसंविधान बने जिनमें मौलिक अधिकारों की रचना नहीं की गयी।

यह अलग बात है कि कुछ समय बाद इन संविधानों में संशोधन करकेमौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। सबसे पहले सन् 1936 मैंबने सोवितय रूस के संविधान में मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों कावर्णन किया गया है, तभी से यह परम्परा शुरू हो गयी।

यही कारण है कि सन् 1949 में बने हमारे संविधान में मौलिकअधिकारों को स्थान दिया गया तथा सन् 1976 के 42वें संविधानसंशोधन ने उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी जोड़े हैं। हमारेसंविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश कोई अभूतपूर्व घटना नहींहै।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में ऐसे विषय पर ध्यान दिया गया। सन्1928 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14-सूत्रप्रस्तुत किये जिनमें इसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का समर्थनकिया गया था। मार्च 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कासत्र हुआ , जिसमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत मौलिक अधिकारों व आर्थिकनीति का प्रस्ताव पारित किया गया।

यही कारण है कि हमारी संविधान सभा ने संविधान में मौलिकअधिकारों का अध्याय शामिल करना अनिवार्य समझा। यह प्रश्नउठता है कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्योंशामिल किया जाता है ? इस बारे में निम्न सार्थक कारणों का उल्लेखकिया जा सकता है:

1. अधिकारों के बिना मनुष्य सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता।अधिकारहीन मानव की स्थिति किसी बन्द पशु या पक्षी की तरह है,अत: सभ्य जीवन का मापन अधिकारों की व्यवस्था से किया जासकता है। राज्य में लोगों को जितने अधिक अधिकार प्राप्त होंगे वेउतना ही अधिक विकसित होते हैं तथा वे अपने अधिकारों कीव्यवस्था को हर कीमत पर सुरक्षित रखते हैं।

2. सभी अधिकार समान रूप में महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ बहुतअधिक कुछ अधिक , तो कुछ कम महत्तपर्ण होते हैं। मात्र कुछअधिकारों को ही मौलिक अधिकारों की कोटि में रखा जा सकता है ।जैसे-जीवन का अधिकार विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकारस्वेच्छकारी नजरबन्दी से मुक्ति का अधिकार अन्त करण कीस्वतन्त्रता का अधिकार आदि।

3. यह आवश्यक है कि इन महत्त्वपूर्ण अधिकारों को कानूनी संरक्षणप्राप्त हो इस नाते उन्हें संविधान में लिख दिया जाये। लेकिन यदिलोग जागरूक हैं , तो संविधान में न लिखे होने पर भी उनका महत्त्वकम नहीं होता।

सदैव सावधान रहना स्वतन्त्रता की कीमत चुकाना है। इंग्लैण्ड मेंलिखित संविधान नहीं है , फिर भी वहां के लोग अपने मौलिकअधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत , साम्यवादी देशों (जैसे-चीन, उत्तरी कोरिया व क्यूबा) के संविधान में मौलिक अधिकारों कावर्णन होता है , किन्तु सर्वसत्तावादी शासन उनकी स्वतन्त्रताओं कोकुचल देता है।

4. केवल यह पर्याप्त नहीं है कि देश के संविधान में नागरिकों केमौलिक अधिकारों को लिख दिया जाये, यह भी उतना ही आवश्यकहै कि देश में स्वतन्त्र प्रेस व स्वतन्त्र न्यायपालिका हो ताकि लोगअपने अधिकारों की सुरक्षा कर सके।

इसलिए न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखा जाता है , जो यथाआवश्यकतासंविधान के प्रावधानों की व्याख्या या पुनर्व्याख्या करती है। समाचार-पत्र , पत्रिकाएं, दूरदर्शन अधिकारियों के अनुचित कार्यों का पर्दाफाशकरतेहैं। इससे स्वतन्त्र जनमत का निर्माण होता है।

5. भारत-जैसे पिछड़े देश के संविधान में इन अधिकारों का समावेशअपना विशेष महत्त्व रखता है। संविधान बनाने वालों को यह भय थाकि कहीं सरकार स्वेच्छाचारी न बन जाये। राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिशशासकों के स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया था। वे जानते थे किदेश में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के बिना सबल व सफललोकतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता।

इन्हीं तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने उसके तीसरेभाग में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। उन्होंने समाजवादीदेशों (जैसे-तत्कालीन मोवियत संघ) के संविधानों से प्रेरणा नहीं लीजहां सर्वसत्तावादी शासन लोगों की त्रिक स्वतन्त्रताओं को कुचलकर मौलिक अधिकारों के वास्तविक महत्त्व को नष्ट कर देता है।

उन्होंने उदारवादी देशों (जैसे-अमेरिका व कनाडा) से प्रेरणा ली ,लेकिन देश की दुर्बल अर्थिक स्थिति तथा सामाजिक न्याय के आदेशोंको न में रखते हुए उन्होंने सारी व्यवस्था को लोकतान्त्रिक समाजवादकी संस्थाओं से जोड़ दिया।

स्वतन्त्रता का अधिकार :

1. छह स्वतन्त्रताओं की प्रत्याभूति- भाषण व अभिव्यक्ति की बिनाशस्त्रों के शान्तिपूर्ण सभाएं करने की संस्थाएं व संघ बनाने की देश मेंमुक्त विचरण की भारत के किसी भाग में निवास या आवास की औरकोई उद्योग व्यवसाय या काम करने की।

2. अपराध करने पर उस समय लागू कानून के तहत कार्रवाई , एकअपराध के लिए एक दण्ड की व्यवस्था, बलपूर्वक आत्मारोपण कीमनाही।

3. कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोषी व्यक्ति को शारीरिकया आर्थिक दण्ड की व्यवस्था ।

4. कानून द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की नि:शुल्क व अनिवार्यशिक्षा की व्यवस्था ।

5. मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा व निवारक नजरबन्दी ।

शोषण के विरुद्ध अधिकार :

1. मानवों के यातायात व बलात् श्रम या बेगार का निषेध ।

2. 14 वर्ष से छोटी आयु के किशारों को संकटमय नौकरी की मनाही ।

धर्म का अधिकार:

1. अन्त: करण की स्वतन्त्रता किसी धर्म का पालन तथा शान्तिपूर्णसाधनों से उसका प्रचार करना ।

2. धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता ।

3. किसी धर्म के लाभ के लिए कराधान की मनाही ।

4. किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षण या

उपासना में अनिवार्य उपस्थिति की मनाही ।

संस्कृति व शिक्षा की अधिकार :

1. अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा लिपि तथा संस्कृति सम्बन्धीहितों के संरक्षण का अधिकार।

2. अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाओं की स्थापनातथा उनके प्रशासन का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार :

न्यायालय द्वारा उपरोक्त अधिकारों की सुरक्षा हेतु उच्च न्यायालय वसर्वोच्च न्यायालय को रिट याचिका सुनकर विशेष लेख व आदेश जारीकरने का अधिकार।

(क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख

(ख) परमादेश लेख

(ग) प्रतिबन्ध लेख

(घ) अधिकारपृच्छा लेख

(ङ) उत्प्रेषण लेख

जैसा पहले कहा जा चुका है, संविधान में वर्णित उपबन्धों के कारणमौलिक अधिकार निर्बाध नहीं हैं। अत: समानता के अधिकार पर लगेप्रतिबन्धों का वर्णन करना आवश्यक है। कानून की दृष्टि में समानताका आशय यह है कि राज्य सभी लोगों के लिए किसी भेदभाव के बिनाएक-जैसे कानून बनायेगा तथा उन्हें लागू करेगा। सभी लोगों को कानूनका समान संरक्षण प्राप्त होगा।

इस प्रकार भारत में 'कानून के शासन' (Rule of Law) की स्थापनाकी गयी है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य नागरिकों मेंउचित व तर्कसंगत भेद नहीं कर सकेगा। राज्य स्त्रियों और बच्चों केकल्याण के लिए कुछ विशेष उपबन्ध कर सकता है।

सन् 2006 के पुत्रमें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य अनुसूचितजातियों अनुसूचित जन-जातियों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि सेपिछड़े अन्य वर्गों की निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं(अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर) में आरक्षण कीव्यवस्था कर सकता है।

सविधान के तृतीय भाग में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीय प्रजातन्त्रकी आधारशिला माने गये हैं। दूसरी और यह आलोचना भी की गयी हैकि वे अधिकार एक हाथ से दिये गये हैं और दूसरे हाथ से ले लिये गयेहैं; क्योंकि उन पर प्रतिबन्धों की कड़ी घेराबन्दी की गयी है।

इसके अतिरिक्त यह उपबन्ध कि आपातकाल के समय मौलिकअधिकारों का क्रियान्वयन स्थगित किया जा सकता है तथा संसदसंशोधन के नाम पर उनकी कटौती कर सकती है , ने इन्हें गैर-मौलिकसा बना दिया है। आलोचना के निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किये जासकते हैं :

1. हमारे मौलिक अधिकारों का स्वरूप मुख्यत: राजनीतिक है। यहांकाम का अधिकार विश्राम का अधिकार सामाजिक सुरक्षा या जीवनबीमा या शारीरिक अपंगता की स्थिति में राजकीय मदद आदि केअधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्थिक प्रजातन्त्र के अभावमें राजनीतिक प्रजातन्त्र एक भ्रम है।

2. मौलिक अधिकारों की आलोचना का एक आधार यह भी है कि इनअधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। अनुच्छेद 20 वे 21 मेंवर्णित जीवन व वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं को छोड़कर अन्य मौलिकअधिकारों को राष्ट्रीय संकट के दौरान स्थगित किया जा सकता है।निवारक निरोध कानून इस अधिकार पर सबसे बड़ा प्रतिबन्ध है , जोशान्तिकाल में भी नागरिकों की स्वतन्त्रता पर एक तानाशाही राज्य कीस्थापना कर सकता है।

3. यद्यपि मौलिक अधिकारों वाला अध्याय काफी विस्तृत है , फिर भीउसमें महत्त्वपूर्ण शब्दों व वाक्यों को व्याख्यारहित रूप में छोड़करसंसद को उसके अर्थ व क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए विधायन प्रस्तुतकरने पर मजबूर कर दिया गया है। संविधान में 'लोकहित'मानवों काक्रय-विक्रय 'संकटमय रोजगार"अल्प- सख्यक'आदि शब्दों की स्पष्टव्याख्या नहीं की गयी है।

4. हम यह भी देख सकते हैं कि जब राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तोंको लागू करने हेतु कोई कानून बनाता है , तो उसका उस समय किसीमौलिक अधिकार मे टकराव हो जाता है , जब वह मामला न्यायालय केसमक्ष आता है । इससे मुकद्दमेबाजी को बढ़ावा मिलता है । इसीसमस्या के कारण सन् 1978 के 44वें शोधन में सम्पत्ति के अधिकारको मौलिक अधिकार वाले भाग से हटकार उसे माधारण अधिकार मेंबदल दिया गया।

5. भारत सरकार ने समय-समय पर संविधान में संशोधन करके मौलिकअधिकारों के स्वरूप को विकृत किया है । इन्हीं संशोधनों ने सामाजिकन्याय के आदर्श की दुहाई देकर मौलिक अधिकारों के परास को काफीसंकुचित कर दिया है , जिन्हें देखकर प्रसिद्ध विधिविद पालकीवाला नेटिप्पणी की है कि उन्होंने दंपधान के आमल रूप को ही विकत करदिया है।

न्यायपालिका ने इस बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने हेतु ऐसे निर्णय दियेहैं कि संविधान में ऐसा संशोधन नहीं हो सकता , जो उसके आमूल ढांचेको बदले या बिगाड़े । अपितु , आलोचना के ऐसे बिन्दु मौलिकअधिकारों के वास्तविक महत्त्व को मिटा नहीं सकते ।

इस तथ्य के बावुजूद कि संवैधानिक संशोधनों के फलस्वरूप कुछमौलिक अधिकारों के परास में काफी कटौती की गयी है, कुल मिलकारमौलिक अधिकारों वाला अध्याय व्यक्ति की स्वतन्त्रता की सबल प्राचीरहै, लोक आचार की संहिता है तथा भारतीय लोकतन्त्र का सुदृढ़ वपोषणीय आधार है।

सम्मपत्ति के अधिकार का मामला:

विधान सभा में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई कि सम्पत्ति के अधिकार कोमौलिक अधिकारों से अलग कर दियागया। अब अनुच्छेद 300 जोड़ गया , जिसमें कहा गया है कि किसीव्यक्ति को कानून की सत्ता के प्रयोग द्वारा उसकी सम्पत्ति से वंचितकिया जा सकता है।

अत: अब सम्पत्ति का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है ,किन्तु उसे संविधान द्वारा प्रत्याभूत साधारण अधिकार का दर्जा प्राप्त है। यह प्रश्न उठता है कि सम्पत्ति के अधिकार को

मौलिक अधिकारों केअध्याय में से क्यों निकाला गया ? इसका यही उत्तर है कि यह अधिकारसरकार व न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बन गया।

भारत सरकार अपने समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करना चाहती थी ,इसलिए निजी सम्पत्ति व्यवस्था पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होनास्वाभाविक था , लेकिन न्यायालय के निर्णय सम्पत्तिवानों के हितों कीरक्षा कर रहे थे। सन् 1955 में चौथा संविधान संशोधन पर्याप्त सिद्ध नहो सका।

सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों की संख्या बढ़ती चली गयी। यह मौलिकअधिकार मुकद्दमेबाजी का बड़ा कारण बन गया। इसीलिए यह उपयुक्तमाना गया कि इस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में सेनिकाल दिया जाये।

मौलिक अधिकारों की कोटि में रखा जाये या नहीं। यदि एक औरसरदार पटेल व मुंशी इसके प्रबल समर्थक थे , तो दूसरी और नेहरू वके टी० शाह समाजवादी सिद्धान्त का आह्वान करके इसके अनियन्त्रितरूप का विरोध कर रहे थे।

समझौते के रूप में इस अधिकार की संविधान के भाग तीन के मौलिकअधिकारों में शामिल किया गया किन्तु उसके प्रयोग पर कठोर नियन्त्रणलगा दिये गये। अनुच्छेद 19 में सात प्रकार की मौलिक स्वतन्त्रताओंको समाहित किया गया जिनमें सम्पत्ति का रखना खरीदना बेचनाशामिल किया गया किन्तु सम्पत्ति के अधिकार को एक शीर्षक बनातेहुए अनुच्छेद 31 में इसकी व्यापक व्यवस्था की गयी।

उदारवादी विचारधारा का आह्वान करते हुए लोगों को अपनी सम्पत्तिबनाने रखने खरीदने बेचने या किसी रूप में उसका हस्तान्तरण करनेका अधिकार दिया गया। यह व्यवस्था भी की गयी कि राज्य जनहितको देखते हुए निजी सम्पत्ति का कानून द्वारा उन्मूलन या राष्ट्रीयकरणकर सकता है, किन्तु बदले में उस व्यक्ति को उपयुक्त एवं उचितमुआवजा दिया जायेगा।

इसी अनुच्छेद के तहत बिहार व उत्तर प्रदेश में राज्य ने जमींदारीव्यवस्था का उमृल्न किया। बदले में उचित मुआवजा न होने के कारणसर्वोच्च न्यायालय ने कामेश्वर सिंह केस (1951) में उन्हें उपयुक्तमुआवजा दिलाया। इसने नेहरू की सरकार के सामने एक बड़ी बाधाखड़ी की। अब संविधान में पहला संशोधन हुआ , जिसने अनुच्छे 31जोड़ा और उसकी खातिर नवीं अनुसूची (Ninth schedule) जोड़ीगयी।

यह व्याख्या की गयी कि यदि राज्य के किसी कानून आदेश याविनियमन को इस अनुसूची में शामिल किया गया तो वह न्यायिकसमीक्षा से मुक्त हो जायेगा। बेला बनर्जी केस (1955) में सर्वोच्चन्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुआवजे का उपयुक्त होना उस समयके बाजार भाव द्वारा निश्चित किया जाये।

इसने नेहरू की सरकार के सामने एक अन्य बड़ी बाधा खड़ी की। अत:इसी वर्ष संविधान में चौथा संशोधन हुआ जिसने मुआवजे के उपयुक्तया उचित होने के प्रावधान को हटा दिया। सन् 1967 के गोलकनाथकेस में सर्वोच्च न्यायालय ने इन संशोधनों को अवैध माना किन्तु यहकहा कि अब उन्हें लागू रहने दिया जाये, किन्तु भविष्य में ऐसा न कियाजाये।

मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं हो सकती। सन् 1971 मेंसंविधान में 24वां संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि संसद संविधानके किसी भाग में कोई संशोधन कर सकती है। इसने गोलकनाथ केसकी बाधा हटा दी।

साथ ही इसी वर्ष 25वां संशोधन हुआ जिसने अनुच्छेद 31 में वर्णित 'मुआवजे' (Compensation) शब्द को हटाकर 'राशि' (Amount)शब्द को स्थान दिया, लेकिन केशवानन्द भारती केस (1973) मेंसर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्तिका उन्मूलन किया जाता है, तो उसी उपयक्त रूप में क्षतिपूर्ति होनीचाहिए।

अत: दोनों के भावार्थ में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार सम्पत्ति काअधिकार सरकार व न्यायपालिका के बीच खुले संघर्ष का कारण बनगया। सन् 1976 के 42वें संविधान संशोधन में

कहा गया कि संसद केबनाये हुए संविधान संशोधन अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहींदी जा सकती तथा संशोधन के बारे में इसकी शक्ति असीम है ।

मिनर्वा कपड़ा मिल्स केस (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने इनप्रावधानों को रह कर दिया। 1978 में संविधान में वौ संशोधन हुआ

सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दियागया। अब अनुच्छेद 300 जोड़ गया, जिसमें कहा गया है कि किसीव्यक्ति को कानून की सत्ता के प्रयोग द्वारा उसकी सम्पत्ति से वंचितकिया जा सकता है।

अत: अब सम्पत्ति का अधिकार नागरिका का मालिक अधिकार नहीं है ,किन्तु उसे संविधान द्वारा प्रत्याभूत साधारण अधिकार का दर्जा प्राप्त है। यह प्रश्न उठता है कि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों केअध्याय में से क्यों निकाला गया ? इसका यही उत्तर है कि यह अधिकारसरकार व न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बन गया।भारत सरकार अपने समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करना चाहती थी ,इसलिए निजी सम्पत्ति व्यवस्था पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होनास्वाभाविक था , लेकिन न्यायालय के निर्णय सम्पत्तिवानों के हितों कीरक्षा कर रहे थे । सन् 1955 में चौथा संविधान संशोधन पर्याप्त सिद्ध नहो सका।

सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों की संख्या बढ़ती चली गयी । यह मौलिकअधिकार मुकद्दमेबाजी का बड़ा कारण बन गया । इसीलिए यह उपयुक्तमाना गया कि इस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में सेनिकाल दिया जाये।1978 के 44वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप सम्पत्ति का अधिकारकानूनी अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है । अत: संसद उसमें साधारणविधि बनाकर संशोधन कर सकती है । यदि ऐसा होता है , तो उस कानूनको अनुच्छे 368 के तहत संवैधानिक नहीं माना जायेगा । अब इसअधिकार को न्यायालय का वह विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है , जो सभीमौलिक अधिकारों को प्राप्त है ।

सन्दर्भ -

१. " CHAPTER -3'FUNDAMENTAL RIGHTSAND DUTIES'"L (PDF). मूल2 (PDF) से 23 मई2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2012.

२. "मौलिक अधिकार एवं उनका वर्गीकरण" 2. मूल से 10अगस्त 2018 को पुरालेखित.

३. " FUNDAMENTAL RIGHTS IN INDIA"2. मूलरसे 17 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12जुलाई 2012.

४. भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार , (कक्षा ११ केलिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक) राष्ट्रीय शैक्षिकअनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद , २00६, पृष्ठ- ४१, ISBN:81-7450-590-3

५. " PART-III FUNDAMENTAL DUTIES ANDRIGHTS" C. मूलए से 22 जुलाई 2012 को पुरालेखित.अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2012.

६. भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार , (कक्षा ११ केलिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक) राष्ट्रीय शैक्षिकअनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, २00६, पृष्ठ- ४१, ISBN:

81-7450-590-3

७. मौलिक अधिकारों पर निबंध | Essay onFundamental Rights in Hindi

८. मौलिक अधिकारों पर निबंध | MaulikAdhikaaron Par Nibandh Essay onFundamental Rights in Hindi

९. मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व ।Fundamental Duties and Elements of StatePolicy in Hindi

१०. भारतीय संविधान का अर्थ और आवश्यकता |Meaning and Need of the IndianConstitution in Hindi